

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन, जो कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

‘राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, के अंतर्गत की गयी है।

वर्ष 2018-19 से 2024-25 की अवधि हेतु इस प्रतिवेदन में “राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली” पर की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित हैं। यद्यपि सड़क सुरक्षा उपायों के अपर्याप्त क्रियान्वयन के गंभीर परिणामों को दर्शाने के लिए इस प्रतिवेदन में नवम्बर 2025 तक घटित कुछ घातक दुर्घटनाओं के सन्दर्भ भी शामिल किए गए हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप की गयी है।

